न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 418/2016

1. संजय पुत्र
2. धनराज पुत्र
3. सुनिता पुत्री
4. बृजेश पुत्री

(लक्ष्मीनारायण)

5. मोहनलाल पुत्र
6. कस्तूरचंद पुत्र
7. खेमराज पुत्र
8. रूकमणी पुत्री
9. कन्याबाई बेवा

(जमनालाल)

10. नटी बाई पत्नि नन्दकिशोर

(जातियान रेगर निवासी वार्ड नं0 4 मांगरोल)

11. ईश्वरपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां

.......वादीगण

♠ बनाम ♠

01. गोरीशंकर पुत्र कालूलाल जाति रेगर निवासी वार्ड नं0 14 मांगरोल
02. शम्भूदयाल पुत्र देवीशंकर जाति कलाल निवासी मांगरोल
03. रामदुलारी पत्नि महावीर प्रसाद जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां
04. निर्मला बाई पत्नि रामनारायण जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां
05. विद्या बाई पत्नि मेघराज जाति धाकड निवासी ईश्वरपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां
06. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 188, 183 आर0टी0एक्ट0</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री मनोज कुमार गालव,

वकील प्रतिवादीगण : श्री कर्मवीर शर्मा

दायरा दिनांकः 15.07.2016 | निर्णय दिनांक : 26.04.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के खाते की आराजी खसरा नं0 4392 रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम मांगरोल जिला बारां में स्थित है। प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त आराजी की मेडबन्दी तोडकर जबरन आपसी सहमति करके चारो ओर से वादीगण की भूमि दबा ली है तथा अब काश्त करने नही दे रहे है और वादीगण के पास मात्र 1.5–2 बीघा जमीन ही मौके पर शेष बची है। अतः वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 ता 5 निम्न आशय की डिकी सादिर फरमावें व स्थायी निषेधाज्ञा पारित करें कि प्रतिवादीगण वादीगण के खाते की भूमि खसरा नं0 4392 रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम मांगरोल की भूमि से कब्जा छोड दे व कब्जा करने का प्रयास न तो स्वयं करे न ही अपने किसी विधिक प्रतिनिधि से करावें। प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नं0 4392 रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम मांगरोल से बेदखल किया जाकर बाद पैमाइश जर्ये प्रतिवादी कम 6 व पुलिस इमदाद से वादीगण को कब्जा दिलवाया जावे।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 15.07.2016 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 2 ता 5 आदिनांक तक अनुपस्थित बावजूद सूचना प्रतिवादी कम 2 ता 5 अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी कम 2 ता 5 को एक्स पार्टी कर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण कम 1 की ओर से वकील श्री कर्मवीर शर्मा ने दिनांक 29.08.2016 को वकालत नामा प्रस्तुत किया।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 नकल सत्यप्रति जमाबंदी मांगरोल खाता संख्या 993 नकल नक्शा ट्रेस सन् 1982 नकल इकरार नामा दिनांक 12.07.2015 राजीनामा पेश किये गये जो शामिल फायल है।।

हमने पत्रावली में संलग्न प्रदर्शो, साक्ष्य एवं दस्तावेजो का अद्योपान्त अवलोकन, अध्ययन व मनन किया। वकील वादीगण व वकील प्रतिवादी कम 1 की अन्तिम बहस दिनांक 26.04.2018 सुनी गयी। बहस में वकील वादीगण ने उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिसे वकील वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया है। वकील प्रतिवादी कम 1 श्री कर्मवीर शर्मा, वादीगण द्वारा किये गये कथन से पूर्ण सहमत है। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादी कम 1 ता 5 वादीगण की खाते की आराजी खसरा नं0 4392 रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम मांगरोल जिला बारां में पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करते है व अपने खाते की आराजी पर काबिज होकर शांतीपूर्वक काश्त कर रहे है। सुनी गयी अन्तिम बहस से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचा है कि वादीगण व प्रतिवादी कम 1 ता 5 अपनी अपनी आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है एवं दोनो परस्पर एक दूसरे की आराजी में हस्तक्षेप नही करते है। अतः प्रतिवादीगण कम 1 ता 5 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेशित किया जाता है कि वादीगण की खाते की आराजी खसरा नं0 4392 रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम मांगरोल जिला बारां में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे। तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है कि पटवारी पटवार हल्का

को निर्देशित कर वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 5 की खाते की आराजी का सीमाज्ञान वादीगण व ी कम 1 ता 5 को मौके पर करवाया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करें। पत्रावली फैशल शुमार हो से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2018 को सरेइजलास